न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदानचारण आर.ए.एस

प्रकरण संख्या आदेश 19 सन 2016

पंजीयन दिनांक 10.3.2016

भंवरसिंह पिता उदयसिंह राजपुत निवासी–बालेछा तहसील रावतभाटा ।

–अपीलांट

विरूद्व

1.सुनीलकुमार पिता भगवतीलाल जैन नि.बोराव हाल मुकाम सुनिल टायर्स पुराना बस स्टेण्ड सिंगोली जिला– नीमच ।

2.बाबूलाल किपता शांतिलाल जैन निवासी–शिशुमंदिर के पास सिंगोली ।

3.जितेन्द्रकुमार पिता रतनलाल जैन नि.स्टेटबैक के पास सिंगोली ।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी रातवभाटा

दिनांक 29.2.2016 प्रकरण संख्या 7/2016

उपस्थित–श्री छोगालाल जाट–वकील अपीलांट

श्री सत्यनारायण ईनाणी–वकील रेस्पोडेन्ट

–0–

निर्णय दिनांक 16.2.2021

प्रकरण के तथ्य सक्षैप में इस प्रकार हैकि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–212 के अन्तर्गत मौजा बालेछा मे स्थित खाता संख्या 56 के खसरा नम्बर 110,111,113,117,118,119,194/127,197/121 कुल किता–8 रकबा 1.95हैक्टैयर के सबंधमें प्रस्तुत किया जो उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आदेश 26 नियम 9 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रावतभाटा को कमीश्नर नियुक्त का आदेश दिया गया व उसी दिन विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10.2.2016 को जो अन्तरिम अस्थायी–निषेधाज्ञा जारी की गयी उसे बिना सुने निरस्त किये जाने का आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्व अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस दौरान अपील में अंकित समस्त तथ्यों को पुनः दोहराते हुये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पाकिरत विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 29.2.2016 निरस्त कराया जाकर अपीलांट प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर पूर्व में जारी अस्थायी–निषेधाज्ञा को यथावत रखने का आदेश कराने का निवेदन किया गया ।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय कोउचित ठकहराते हुये अपील अस्वीकारकरने का अनुरोध किया गया ।

मैने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी ओर पत्रावली का अवलोकनकिया गया जिससे स्पष्ट जाहिर है उक्त पत्रावली में दिनांक 10.2.2016 को अपीलाट की एक तरफा बहस सुनी जाकर अस्थायी–निषेधाज्ञा जारी की जिसे जवाब का अवसर देते हुये दिनांक 29.2.2016 को जारी अस्थायी–निषेधाज्ञा दिनांक 10.2.2016 को निरस्त कर उक्त पत्रावली में आदेश 26 नियम 9 स्वीकार क र मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने का आदेश पारित किया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.3.2016 नियत की गयी है ऐसी स्थिति में 29.2.2016 का आदेश विचारण न्यायालय का अन्तिम निर्णय नहीं होकर अन्तरिम आदेश है जिसके विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–225 के तहत अपील पोषणीय नहीं होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा का आदेश दिनांक 29.2.2016 यथावत रखा जाकर पत्रावली अग्रीम कार्यवाही हेतु विचारण न्यायालय को प्रेषित है ।

निर्णय आज दिनांक 16.2.2021 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चारणदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ